सर्वोच्च प्राथमिकता/दो दिन में

आर०एस० निगम,
विशेष सचिव।

अर्द्ध शा०प०सं०8मु०मं०/चौ०–1/95-99/90.
उत्तर प्रदेश शासन,
सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1
लखनऊः दिनांक 17 फरवरी, 1995.

प्रिय महोदय,

मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन विभिन्न निगमों/उपक्रमों/परिषदों आदि में माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में मुकदमों की पैरवी हेतु स्थायी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाती है, जो शासन स्तर से अनुमोदित नहीं होती है जब कि शासन के विभिन्न मुकदमों की पैरवी के लिए ऐसी नियुक्तियां शासन स्तर से की जाती है।

2- इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपेक्षा की है कि उक्त मुकदमों की पैरवी के लिए जो स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किये गये हैं, उनकी सूची नियुक्ति की तिथि सहित, उनके अवलोकनार्थ 3 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जाय। अतएव, अनुरोध है कि कृपया उक्त सूचना तीन प्रतियों में विलम्बतम् 2 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के
मुख्य कार्यकारी (नाम से)

| आर० एस० निगम |

संख्या–8मु०मं० (1)/चौवालिस–1-95/99/90, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निगमों/उपक्रमों से सम्बन्धित शासन के प्रशासनिक अनुभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
| देवी प्रसाद साह |
अनु सचिव।